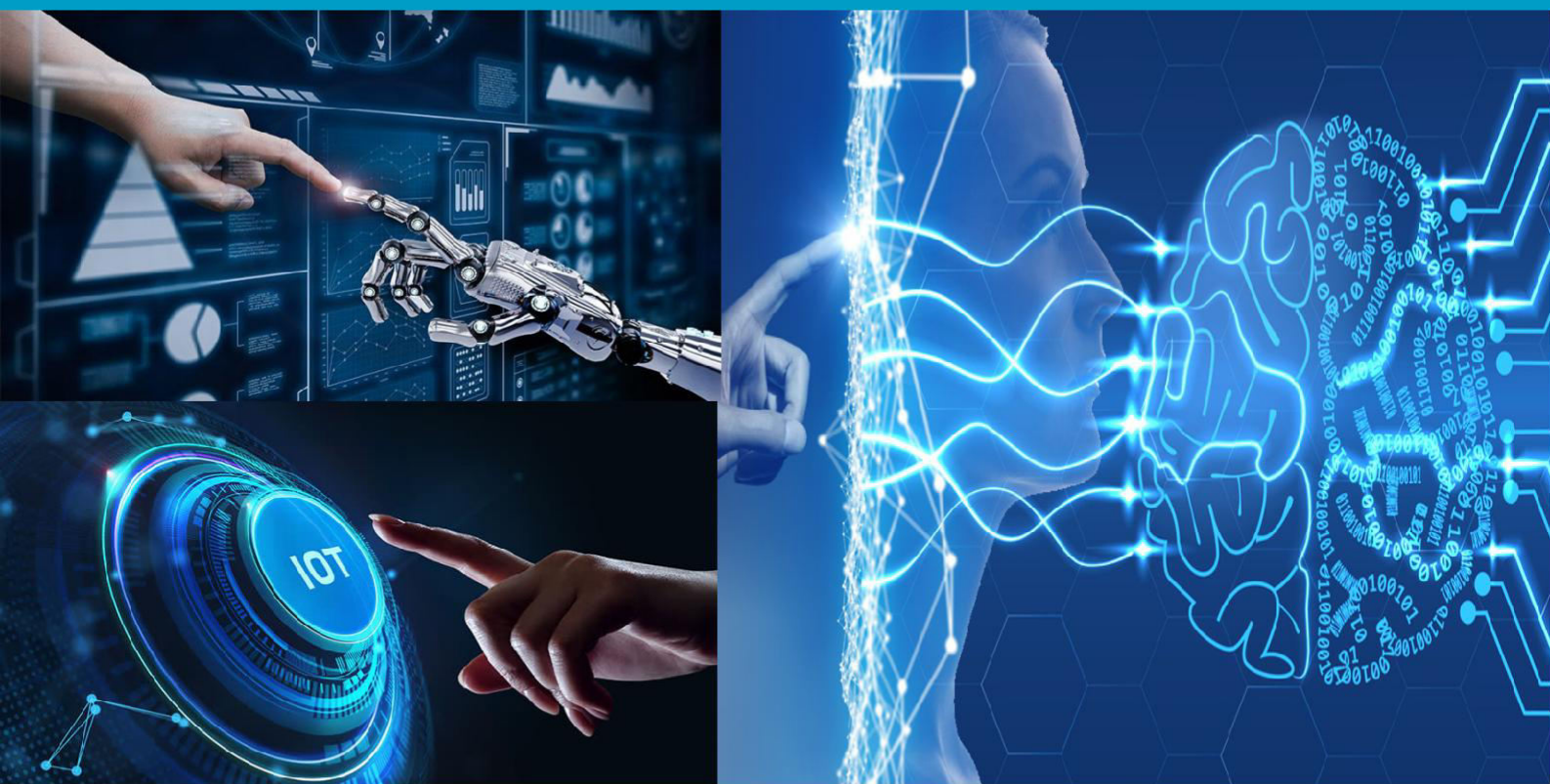




INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH

IN SCIENCE, ENGINEERING, TECHNOLOGY AND MANAGEMENT

Volume 9, Issue 8, August 2022

ISSN

INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INDIA

Impact Factor: 7.580



+91 99405 72462



+9163819 07438



ijmrsetm@gmail.com



www.ijmrsetm.com



भारत में धर्मनिरपेक्षता-दशा और दिशा

Dr. Surender Singh

Assistant Professor, Political Science, Babu Shobha Ram Government Arts College Alwar (Rajasthan), India

सार

भारतीय संविधान के प्रस्तावना में घोषणा के अनुसार भारत एक पन्थनिरपेक्ष देश है। लेकिन भारतीय पन्थनिरपेक्षता, पश्चिमी देशों की पन्थनिरपेक्षता से थोड़ी भिन्न है। पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता जहाँ धर्म एवं राज्य के बीच पूर्णतः संबंध विच्छेद पर आधारित है, वहीं भारतीय संदर्भ में यह अंतर-धार्मिक समानता पर आधारित है। पश्चिम में धर्मनिरपेक्षता का पूर्णतः नकारात्मक एवं अलगाववादी स्वरूप दृष्टिगोचर होता है, वहीं भारत में यह समग्र रूप से सभी धर्मों का सम्मान करने की संवैधानिक मान्यता पर आधारित है।

धर्म शब्द का अर्थ पंथ नहीं होता। इसलिए धर्म निरपेक्ष शब्द ही गलत है। सेक्युलर शब्द का अर्थ धर्मनिरपेक्ष नहीं अपितु पंथनिरपेक्ष होता है। धर्म शब्द का विश्व में किसी भी समृद्ध भाषा में पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसलिए पंथनिरपेक्ष या सेक्युलर कहना उचित है। धर्मनिरपेक्षता असंभव है। धर्म एक ही होता है। ईसाई, इस्लाम, जैन, बौद्ध, सिख ये धर्म नहीं हैं अपितु पंथ मजहब या संप्रदाय हैं। धर्म के 10 लक्षण होते हैं जो मनुस्मृति में दर्ज हैं।^[1]

धर्मनिरपेक्ष शब्द, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बयालीसवें संशोधन (1976) द्वारा डाला गया था। भारत का इसलिए एक आधिकारिक राज्य धर्म नहीं है। हर व्यक्ति को उपदेश, अभ्यास और किसी भी धर्म के चुनाव प्रचार करने का अधिकार है। सरकार के पक्ष में या किसी भी धर्म के खिलाफ भेदभाव नहीं करना चाहिए। यह बराबर सम्मान के साथ सभी धर्मों का सम्मान करना होगा। सभी नागरिकों, चाहे उनकी धार्मिक मान्यताओं के लिए कानून के सामने बराबर हैं। कोई धार्मिक अनुदेश सरकार या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में दिया जाता है। फिर भी, सभी स्थापित दुनिया के धर्मों के बारे में सामान्य जानकारी समाजशास्त्र में पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में दिया जाता है, किसी भी एक धर्म या दूसरों को कोई महत्व देने के बिना। मौलिक मान्यताओं, सामाजिक मूल्यों और मुख्य प्रथाओं और प्रत्येक स्थापित दुनिया धर्मों के त्योहारों के संबंध के साथ सामग्री / बुनियादी मौलिक जानकारी प्रस्तुत करता है। एसआर बोम्मई बनाम भारतीय संघ में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के मूल ढांचे का एक अभिन्न हिस्सा है कि धर्मनिरपेक्षता था।

परिचय

ध्यातव्य है कि 42वें संविधान संशोधन के बाद भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 'पंथनिरपेक्ष' शब्द जोड़ा गया, लेकिन 'पन्थनिरपेक्ष' शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान के किसी अन्य भाग में नहीं किया गया है। वैसे संविधान में कई ऐसे अनुच्छेद मौजूद हैं जिनके आधार पर भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जा सकता है-

- (१) भारत में संविधान द्वारा नागरिकों को यह विश्वास दिलाया गया है कि उनके साथ धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जायेगा।
- (२) संविधान में भारतीय राज्य का कोई धर्म घोषित नहीं किया गया है और न ही किसी खास धर्म का समर्थन किया गया है।
- (३) संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार भारतीय राज्य क्षेत्र में सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि से समान होंगे और धर्म, जाति अथवा लिंग के आधार पर उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जायेगा।
- (४) अनुच्छेद 15 के अनुसार धर्म, जाति, नस्ल, लिंग और जन्म-स्थान के आधार पर भेदभाव पर पाबंदी लगाई गई है।
- (५) अनुच्छेद 16 में सार्वजनिक रोजगार के क्षेत्र में सबको एक समान अवसर प्रदान करने की बात की गई है (कुछ अपवादों के साथ)। इसके साथ भारतीय संविधान द्वारा प्रत्येक नागरिक को अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतन्त्रता का मूल अधिकार भी प्रदान किया गया है।



- (६) अनुच्छेद 25 में प्रत्येक व्यक्ति को अपने धार्मिक विश्वास और सिद्धान्तों का प्रसार करने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 26 धार्मिक संस्थाओं की स्थापना का अधिकार देता है।
- (७) अनुच्छेद 27 के अनुसार नागरिकों को किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संस्था की स्थापना या पोषण के बदले में कर देने के लिये बाध्य नहीं किया जायेगा।
- (८) अनुच्छेद 28 के द्वारा सरकारी शिक्षण संस्थाओं में किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दिए जाने का प्रावधान किया गया है।
- (९) भारतीय संविधान द्वारा धार्मिक कार्यों के लिए किये जाने वाले व्यय को कर-मुक्त घोषित किया गया है। [1,2]
- (१०) संविधान के अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक समुदायों को अपने शैक्षणिक संस्थान खोलने एवं उनका प्रशासन करने का अधिकार दिया गया है।
- (११) अनुच्छेद 44 में प्रावधान किया गया है कि भारत अपने सभी नागरिकों के लिये समान नागरिक संहिता बनाने का प्रयास करेगा।

वर्तमान में भारत में धर्मनिरपेक्ष

भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची धार्मिक संस्थानों, दान और न्यासों को तथाकथित समवर्ती सूची में रखती है, जिसका अर्थ है कि भारत की केंद्र सरकार और भारत में विभिन्न राज्य सरकारें धार्मिक संस्थानों, दान और न्यासों के बारे में अपने कानून बना सकती हैं। यदि केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून और राज्य सरकार के कानून के बीच कोई विरोध होता है, तो केंद्र सरकार का कानून प्रभावी होता है। भारत में धर्म और राज्य को अलग करने के बजाय ओवरलैप के इस सिद्धांत को 1956 में अनुच्छेद 290 से शुरू होने वाले संवैधानिक संशोधनों की एक श्रृंखला में मान्यता दी गई थी, जो 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द के अतिरिक्त था।

भारत की केंद्र और राज्य सरकारें धार्मिक इमारतों और बुनियादी ढांचे का वित्त और प्रबंधन करती हैं। ऊपर, वक्फ संपत्तियों के लिए 2014 में राष्ट्रीय वक्फ विकास निगम लिमिटेड का उद्घाटन।

समवर्ती सूची संरचना के माध्यम से धर्म और राज्य के ओवरलैप ने भारत में विभिन्न धर्मों, धार्मिक विद्यालयों और व्यक्तिगत कानूनों को राज्य का समर्थन दिया है। राज्य का यह हस्तक्षेप प्रत्येक धर्म के आदेशों के अनुरूप होते हुए भी असमान और परस्पर विरोधी है। उदाहरण के लिए, 1951 का एक धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती भारतीय कानून राज्य सरकारों को हिंदू मंदिरों को जबरन अपने कब्जे में लेने, उनका स्वामित्व और संचालन करने की अनुमति देता है, और प्रसाद से राजस्व एकत्र करता है और उस राजस्व को किसी भी गैर-मंदिर उद्देश्यों के लिए पुनर्वितरित करता है जिसमें मंदिर के विरोध में धार्मिक संस्थानों का रखरखाव शामिल है; भारतीय कानून इस्लामिक और अन्य अल्पसंख्यक धार्मिक स्कूलों को धार्मिक शिक्षा प्रदान करने के लिए भारत की राज्य और केंद्र सरकार से आंशिक वित्तीय सहायता प्राप्त करने की अनुमति देता है, अगर स्कूल इस बात से सहमत है कि छात्र के पास धार्मिक शिक्षा से बाहर निकलने का विकल्प है, यदि वह ऐसा कहता है, और यह कि स्कूल धर्म, नस्ल या किसी अन्य आधार पर किसी भी छात्र के साथ भेदभाव नहीं करेगा। सरकार द्वारा पूरी तरह से स्वामित्व और संचालित शैक्षिक संस्थानों को धार्मिक शिक्षा प्रदान करने की मनाही है, लेकिन धार्मिक संप्रदाय और बंदोबस्त अपना स्कूल खोल सकते हैं, धार्मिक शिक्षा प्रदान कर सकते हैं और उन्हें आंशिक राज्य वित्तीय सहायता का अधिकार है। [3,5]

भारत में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ राज्य से धर्म को अलग करना है। व्यक्तिगत डोमेन में मुस्लिम भारतीयों के लिए धार्मिक कानून; और वर्तमान में, कुछ स्थितियों में जैसे कि धार्मिक शिक्षा देने वाले विद्यालयों में राज्य आंशिक रूप से कुछ धार्मिक विद्यालयों को वित्तपोषित करता है। इन मतभेदों ने कई विद्वानों को यह घोषित करने के लिए प्रेरित किया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता शब्द पश्चिम और अन्य जगहों पर व्यापक रूप से समझा जाता है; बल्कि यह एक जटिल इतिहास वाले राष्ट्र में राजनीतिक लक्ष्यों के लिए एक रणनीति है, और जो अपने घोषित इरादों के विपरीत हासिल करती है। एक समान नागरिक संहिता के प्रयास पर लंबे समय से एक धर्मनिरपेक्ष भारतीय राज्य को साकार करने के साधन के रूप में चर्चा की गई है। धर्म और राज्य के बीच ओवरलैप ने भारतीय धर्मनिरपेक्षता के समर्थकों और हिंदू राष्ट्रवाद के समर्थकों के बीच तनाव पैदा कर दिया है। हिंदू राष्ट्रवादी



अपने आधार को आंदोलित करने के लिए समान नागरिक संहिता मंच का उपयोग करते हैं, भले ही कोई वास्तविक कार्यान्वयन नहीं हुआ हो। वे भारत में प्रचलित धर्मनिरपेक्षता को "छद्म-धर्मनिरपेक्षता" के रूप में वर्णित करते हैं, राजनीतिक "अल्पसंख्यकों के तुष्टिकरण" के लिए एक छलावरण वाला पाखंड। 28 जुलाई 2020 तक, भारत के संविधान की प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को हटाने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय में दलीलें चल रही थीं।

भारत देश को कई अलग-अलग धर्मों और संस्कृतियों की भूमि माना जाता है जो हजारों सालों से सद्भाव और सह-अस्तित्व की भावना में जी रहा है। भारतीय विविधता आधुनिक भारत की शक्ति और आधार रही है, देश की समावेशी प्रकृति दुनिया के किसी अन्य देश की अपेक्षा अलग है। भारत जैसे देश में धर्मनिरपेक्षता जटिल सामाजिक ताने-बाने के साथ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्राचीन काल से दुनिया के विभिन्न हिस्सों से अलग-अलग धर्मों के लोगों का यहां पर प्रादुर्भाव हुआ है। कभी-कभी लोग अधिक झगड़े होने के बावजूद भी एक जुट होकर रहते थे। धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा भारतीय संविधान से 1976 तक गायब रही, जब तक कि संविधान का 42वां संशोधन अनुकूलित और लागू नहीं हुआ। हालांकि, भारतीय संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता और इसकी व्याख्या की अवधारणा अभी भी पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता की व्याख्या की तुलना में अदालतों और विशेषज्ञों के बीच अनिश्चित और अस्पष्ट दिखाई देती है। धर्मनिरपेक्षता की चुनौतियां और बदलता स्वरूप [7,8]

भारतीय संविधान के प्रावधानों और अधिकारों को एक साथ पढ़ने और उनके मूल्यांकन के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मात्र शब्दों के बजाय धर्मनिरपेक्ष स्वरूप भी हासिल किया है। एक बिंदु पर, धर्मनिरपेक्ष विचार, बहुलवादी भारत का सभी संप्रदायों और धर्मों की सहिष्णुता को भारतीय समाज का मूल माना जाता था। लेकिन, राजनीति के लिए छोटे वोट बैंक के रूप में संप्रदायों और धर्मों को उकसाया गया है। 1990 के दशक के शुरुआत से होने वाली घटनाओं ने वास्तविकता की स्थिति को बदल दिया है जो भारत का एक महत्वपूर्ण आधार था। भारत में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ इतिहास में बदल गया है, शुरुआत में इसे बहुसंख्यक विरोधी और अल्पसंख्यक समर्थक माना जाता था। इस अवधि के दौरान, कई राजनीतिक दलों ने अल्पसंख्यकों को सुदृढ़ और खुश करने के लिए धर्मनिरपेक्षता का उपयोग एक हथियार के रूप में किया। हालांकि, वर्तमान में, कुछ पक्षों ने भारतीय संदर्भ में बहुसंख्यक संप्रदायों को मजबूत करने के लिए धर्मनिरपेक्षता के बहुसंख्यक समर्थकों के रूप में काम करना शुरू कर दिया है। राजनीतिक क्षेत्र में से कुछ ने धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा का विरोध किया है क्योंकि यह उद्देश्यों को पूरा करने में असफल रहा है, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि धर्मनिरपेक्षता के बिना भारत देश में हर जगह एक अस्थिर वातावरण पैदा हो जाएगा।

भारतीय धर्मनिरपेक्षता और पश्चिमी अवधारणा में मतभेद

धर्मनिरपेक्षता की भारतीय अवधारणा, धर्मनिरपेक्षता की पश्चिमी व्याख्या से काफी विपरीत है। पश्चिम में, यह तीन प्रमुख आधारों (स्तंभों) धर्म की स्वतंत्रता, राज्य और धर्म को अलग करना, प्रत्येक नागरिक को उनके धर्म के बावजूद समान नागरिकता प्रदान करने पर आधारित है। यद्यपि भारतीय संविधान तीन स्तंभों में से केवल दो का पालन करता है, लेकिन यह सबसे महत्वपूर्ण एक का पालन करने में असफल रहता है, क्योंकि धर्म प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष साधनों के माध्यम से राज्य के काम-काज में सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करता है। भले ही भारत के संविधान को भारत में सर्वोच्च कानून माना जाता हो, लेकिन भारतीय समाज की जटिलताएं शरीरगत और हिंदू संहिता विधेयक जैसे व्यक्तिगत कानूनों को तब तक अस्तित्व में रहने की अनुमति देती है जब तक कि यह किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों और समाज में शांति और सद्भावना में बाधा न डाले।

पश्चिमी विविधता एक-दूसरे की कार्य पद्धति के साथ राज्य और धर्म में हस्तक्षेप न करने से संबंधित है। सत्ता राज्य के साथ संघर्ष करती है और अगर धर्म राज्य के कामकाज में बाधा उत्पन्न कर रहा है तो इसके अधिकारों को कम करने की अनुमति है। दूसरी तरफ, भारतीय धर्मनिरपेक्षता शांति और सद्भाव का माहौल बनाते समय व्यक्ति को अपने मौलिक अधिकारों का लाभ लेने की अनुमति देकर के एक समावेशी रूप पर ध्यान केंद्रित करता है। अवधारणा इस बात तक ही सीमित नहीं है कि धार्मिक समूहों को कैसे देखा जाए। जबकि, धर्मनिरपेक्षता का सार सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में राज्य और धर्म के बीच सकारात्मक संबंध बनाने में निहित है।

धर्मनिरपेक्षता के साथ भारत की दुविधा और आगे का मार्ग

भारत एक नव उदार राज्य के साथ एक धर्मनिरपेक्ष समाज का गठन करने के मामले में संघर्ष कर रहा है जिसने साझा नैतिकता की वैधता को व्यावहारिक रूप से नष्ट कर दिया है, देश ने आर्थिक उदारीकरण की यात्रा शुरू करने के बाद से आक्रामक भावनाओं को हटा दिया। उसी समय, कांग्रेस पार्टी की शक्ति में गिरावट आयी और राइट विंग राजनीति का उदय हुआ, राष्ट्रवादी जोश की भूमिका एक कल्याणकारी राज्य की लहर के साथ मिलकर एक स्वैच्छिक संघ में बदल दी गई जो व्यक्तिगत जिम्मेदारी की निजी नैतिकता के आधार पर संविधान में निहित धर्मनिरपेक्षता के आदर्शों को बिगाड़ रही है। [9,10]



धर्मनिरपेक्षता का सार विभिन्न सामाजिक समूहों के साथ मेल-जोल बनाने और विद्वेष (घृणा) पर काबू पाने, जो भारतीय समाज के सामाजिक ताने-बाने को नष्ट कर रहा है, में निहित है। भारत जैसे विविधता वाले देश में जहाँ विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के संदर्भ में मतभेद व्याप्त हैं, इस तरह के धार्मिक मतभेदों से निपटने के तरीके पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय विद्वेष की जड़ को खत्म करना जरूरी है। राज्य की भूमिका को कम करने के लिए न केवल विभिन्न धर्मों के बीच बल्कि विभिन्न सांस्कृतिक समूहों, संजातीय, क्षेत्रीय, भाषाई और जाति के बीच गहरे संबंधों को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है।

विचार-विमर्श

भारत में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ सभी धर्मों को समान दर्जा और व्यवहार देना है। भारत में हम धर्मनिरपेक्षता शब्द का उपयोग देश की सरकार द्वारा धर्म के मामलों में निष्पक्षता या गैर-हस्तक्षेप के लिए करते हैं। भारत की आबादी बहुत बड़ी है और यह विशाल आबादी विभिन्न धार्मिक संस्कारों और विभिन्न धर्मों जैसे हिंदू धर्म, इस्लाम, सिख धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म आदि का पालन करती है।

भारत के मार्गदर्शक सिद्धांतों में से एक धार्मिक मामलों में निष्पक्षता है। भारत चाहता है कि उसके नागरिक बिना किसी सरकारी हस्तक्षेप के अपनी पसंद के किसी भी धर्म से जुड़े रहें और यह निर्णय हमारे देश के संविधान की संशोधित प्रस्तावना में घोषित किया गया है। संविधान के 42 वें संशोधन 1976 के साथ यह दावा किया गया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है।

भारत में धर्मनिरपेक्षता बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि परिणामस्वरूप तनाव के कारण धर्म के नाम पर देश का विभाजन हुआ। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह राज्य और विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच संबंधों को समानता के सिद्धांत पर नियंत्रित करता है कि राज्य किसी भी धर्म के खिलाफ भेदभाव नहीं करेगा।

भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, क्योंकि यहां राजधर्म जैसी कोई चीज नहीं है। हमारे संविधान की प्रस्तावना भारत को एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य बनाने का संकल्प लेती है। इसलिए भारत का संविधान एक धर्मनिरपेक्ष राज्य का प्रतीक है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ अधार्मिक या धार्मिक विरोधी राज्य या धर्म के प्रति उदासीन राज्य नहीं है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं होगा। राज्य किसी भी धर्म को किसी विशेष धर्म या धार्मिक संस्था के प्रचार के लिए भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं करेगा। राज्य निधि द्वारा संचालित किसी भी शैक्षणिक संस्थान (अनुच्छेद 28) में किसी भी धार्मिक शिक्षा की अनुमति नहीं दी जाएगी। किसी भी व्यक्ति को किसी शैक्षणिक संस्थान में धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। राज्य न तो किसी धार्मिक संस्था की स्थापना करेगा और न ही उसे मान्यता देगा।^[11]

भारत एक विशाल देश है जहाँ विभिन्न धर्मों, जातियों, पंथों और सामाजिक-सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के लोग रहते हैं। यह देश अपनी विविध आबादी के मामले में भी विविधतापूर्ण है। हालाँकि, धर्मनिरपेक्षता शब्द का उल्लेख शुरू से ही संविधान में नहीं किया गया था, लेकिन यह हमारी राजनीति में एक दार्शनिक घटना के रूप में अंतर्निहित था।

यद्यपि धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान की मूल संरचना है, लेकिन समकालीन भारतीय परिस्थितियों में इसकी व्यावहारिकता संदिग्ध है क्योंकि जातीय और सांप्रदायिक पहचान के सामाजिक निर्माण में धर्म का उपयोग बढ़ रहा है, जिसके परिणामस्वरूप राजनीतिक गोलबंदी हो रही है। भारत में जाति, धर्म और क्षेत्रीय विभाजन अभी भी प्रचलित हैं और व्यक्तियों और समूहों की विचारधारा को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

जबकि धर्मनिरपेक्षता सत्तर वर्षों से अधिक समय से भारत के लोकतंत्र का अभिन्न अंग रही है, इसकी सीमाएँ और कार्यान्वयन अभी भी बहस का विषय हैं। धर्मनिरपेक्षता का वास्तविक अर्थ यह है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होना चाहिए, और कोई भी राज्य को धार्मिक राज्य बनाने की घोषणा नहीं कर सकता (बसु, 2007) लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि राज्य को धर्म से अलग रहना चाहिए। संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द डालने का उद्देश्य समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्र की अखंडता के उच्च विचारों को स्पष्ट रूप से सामने लाना था।

धर्मनिरपेक्षता लोगों को सामाजिक उन्नति सहित सभी पहलुओं और संस्कृतियों में मानव प्रगति के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं को देखने में सक्षम बनाती है (बसु, 2007)। लेकिन, आजकल, धर्मनिरपेक्षता को आधुनिकता की अवधारणा के बराबर भी माना जाने



लगा है जो एक व्यक्तिपरक चीज़ है जो व्यक्तिगत दृष्टिकोण से मायने रखती है। निस्संदेह, धर्मनिरपेक्षता और आधुनिकता एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन यह एक सामान्य बात है।

यह महसूस करते हुए कि सभी धर्मों के लिए समान सम्मान का केंद्रीय आदर्श सामाजिक वास्तविकता में तब्दील नहीं हुआ है, लेकिन बहुसंस्कृतिवाद के कारण भारत को प्राचीन काल से ही बहुसंस्कृतिवाद विरासत में मिला है; विश्व में भारत की एक अलग पहचान है। एक राष्ट्र के निर्माण के लिए एक भाषा, एक संस्कृति, एक इतिहास और एक धर्म होना चाहिए। लेकिन भारत में यह अपवाद है। भारत में विभिन्न धर्मों, विभिन्न संस्कृतियों के लोग एक साथ रहते हैं। फिर भी भारत एक राष्ट्र के रूप में बना हुआ है। भारत में बहुसंस्कृतिवाद के साथ-साथ सामाजिक सहिष्णुता समाज की रीढ़ है।

भले ही लोग अपने धर्म और संस्कृति के अनुसार व्यवहार करते हैं, फिर भी एक-दूसरे के धर्म और संस्कृति का सम्मान किया जाता है। भारत में सभी को धर्म और संस्कृति का प्रचार-प्रसार करने का अधिकार है। भारतीय समाज को धर्म के अतिरिक्त नहीं माना जा सकता, क्योंकि धर्म भारतीय समाज का अभिन्न अंग बन चुका है। आजादी के बाद भारतीय संविधान ने इस बहुलवादी समाज को और अधिक कठोर बनाकर राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सहिष्णुता को कायम रखने का काम किया है।

धर्मनिरपेक्षता का अर्थ

धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य किसी विशेष धर्म को आश्रय नहीं देता। धर्म का अर्थ है व्यक्तिगत मामलों को स्वीकार करना और उन्हें अपने धर्म के अनुसार व्यवहार करने की अनुमति देना। ब्रिटिश इनसाइक्लोपीडिया में धर्मनिरपेक्षता को गैर-आध्यात्मिक के रूप में परिभाषित किया गया है। धर्मनिरपेक्षता नास्तिकता नहीं है बल्कि सभी धर्मों में समान आस्था रखती है और राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं होगा। साथ ही, राजनीतिक व्यवस्था धर्म से संचालित नहीं होगी। विभिन्न धर्मों के नागरिक राज्यों में रह सकते हैं। [12]

प्रत्येक नागरिक अपने धर्म के अनुसार स्वतंत्रतापूर्वक जीवन जी सकता है। धर्मनिरपेक्षता का यही मतलब है। भारतीय परंपरा में धर्मनिरपेक्षता को निम्नलिखित तीन विचारधाराओं में परिभाषित किया जा सकता है। एक, उदारवादी विचारधारा ने धर्मनिरपेक्षता की पश्चिमी अवधारणा का समर्थन किया है। राजनीति और धर्म बिल्कुल अलग होने चाहिए और धर्म का राजनीति पर असर नहीं होना चाहिए और राजनीति पर धर्म का असर नहीं होना चाहिए। दोनों बातों पर अलग-अलग सहमति है।

दूसरा, परिवर्तनवादी विचारधारा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास पर जोर देती है। यह विचारधारा मानती है कि धर्म को व्यक्ति के निजी जीवन तक ही सीमित रहना चाहिए और व्यक्तियों के बीच वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करने का प्रयास करना चाहिए। हालाँकि, यह सिद्धांत और व्यवहार की एक प्रणाली है जो किसी भी प्रकार के धार्मिक विश्वास और पूजा की उपेक्षा या अस्वीकार करती है (बसु, 2007)।

एक धर्मनिरपेक्ष राज्य का मूल सिद्धांत यह है कि राज्य के मामलों में धर्म का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए और इसके विपरीत, यानी राज्य को भी धर्म के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए (टारकुंडे, 1995)। वेबस्टर की न्यू वर्ल्ड डिक्शनरी के अनुसार, धर्मनिरपेक्षता इस विश्वास का प्रतीक है कि धार्मिक और चर्च संबंधी मामलों को राज्य के कार्य में प्रवेश नहीं करना चाहिए।

परिणाम

धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा

यह महज़ धार्मिक सहिष्णुता का निष्क्रिय रवैया नहीं है; यह सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार की एक सकारात्मक अवधारणा भी है (जैन, 2008)। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य किसी विशेष धर्म को संरक्षण नहीं देता है। राज्य किसी भी राज्य धर्म की स्थापना नहीं करेगा, न ही राज्य किसी भी नागरिक को कोई तरजीह देगा या उसके खिलाफ इस आधार पर भेदभाव करेगा कि वह किसी विशेष धर्म को मानता है (पाइली, 2007)।

हालाँकि, इसका मतलब यह नहीं है कि जिस राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है वह एक धार्मिक राज्य है। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य न तो किसी विशेष धर्म का समर्थक होता है और न ही विरोधी। यह न तो धार्मिक है और न ही अधार्मिक। साथ ही, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य धर्म के मामलों में तटस्थता बनाए रखता है और सभी धर्मों को समान सुरक्षा प्रदान करता है (जैन, 2008)। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि सभी धर्मों का दर्जा बराबर है।



धर्मनिरपेक्षता की दो मुख्य अवधारणाएँ हैं:

पश्चिमी अवधारणा और भारतीय अवधारणा

धर्मनिरपेक्षता की पश्चिमी अवधारणा थॉमस जेफरसन के विचारों पर आधारित है। उन्होंने 1908 में कहा था, "स्वतंत्र समाज में चर्च और राज्य के बीच अलगाव की दीवार खड़ी करना नितांत आवश्यक है"। उनके अनुसार, धार्मिक संस्थाओं को राज्यों की संस्था से अलग किया जाना चाहिए।

केवल सार्वजनिक व्यवस्था की आवश्यकता और अन्य व्यक्तियों के अधिकारों का सम्मान करने से सीमित व्यक्तियों के लिए अंतरात्मा की स्वतंत्रता एक मार्गदर्शक सिद्धांत है।

मतलब यह कि यदि कोई व्यक्ति एक धर्म का पालन करता है और यह प्रथा अन्य धर्मों के अनुयायियों के अधिकारों का उल्लंघन करती है, तो पहले वाले पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। थॉमस जेफरसन की राय थी कि व्यक्तियों के खिलाफ उनके धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए।

धर्मनिरपेक्षता की पश्चिमी अवधारणा 19वीं सदी में शुरू हुई। धर्मनिरपेक्षता शब्द 1851 में ब्रिटिश सुधारक जैकब होलोके द्वारा गढ़ा गया था। उन्होंने धार्मिक विश्वास की आलोचना किए बिना धर्म से अलग सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देने के अपने विचारों का वर्णन करने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया था।^[10]

जहां तक धर्मनिरपेक्षता के भारतीय परिदृश्य का सवाल है, संविधान सभा की बहसों के रिकॉर्ड पर नजर डालने से पता चलता है कि सभा के सदस्यों के बीच आम समझ यह थी कि भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनना है। संविधान सभा ने भारत की धर्मनिरपेक्ष नींव पर जोर दिया। सभा ने घोषणा की कि धर्मनिरपेक्षता, जैसा कि भारतीय संविधान में अपनाया गया है, एक धर्म-विरोधी अवधारणा नहीं है; इसके बजाय, इसने धर्म के आधार पर नागरिकों के खिलाफ भेदभाव को रोका।

संविधान सभा के सदस्यों में से एक, श्री एचवी कामथ ने कहा:

जब मैं कहता हूँ कि किसी राज्य को किसी विशेष धर्म के साथ अपनी पहचान नहीं बनानी चाहिए तो इसका मतलब यह नहीं है कि राज्य को गैर-धार्मिक या अधार्मिक होना चाहिए। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा, लेकिन मेरे अनुसार, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य न तो ईश्वरविहीन राज्य है, न ही अधार्मिक और न ही धर्म-विरोधी राज्य है। (पाइली, 2007)।

डॉ. बीआर अंबेडकर ने धर्मनिरपेक्षता को निम्नलिखित शब्दों में समझाया: इसका (धर्मनिरपेक्ष राज्य) मतलब यह नहीं है कि हम लोगों की धार्मिक भावना को ध्यान में नहीं रखेंगे। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब केवल इतना है कि यह संसद बाकी लोगों पर किसी विशेष धर्म को थोपने में सक्षम नहीं होगी।

यह एकमात्र सीमा है जिसे संविधान मान्यता देता है (पाइली, 2007)। संविधान सभा की बहस के बाद, मुख्य रूप से धर्मनिरपेक्षता के दो विचार सामने आए; एक गांधी के विचार, और दूसरे नेहरू के विचार। गांधीजी की राय सर्व धर्म समभाव यानी सभी धर्मों के लिए समानता पर आधारित थी। उनके अनुसार धर्म को सार्वजनिक जीवन से अलग नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि धर्म उनके लिए महत्वपूर्ण है और वह दूसरे धर्मों का भी सम्मान करेंगे। नेहरू ने धर्म निरपेक्षा सिद्धांत का पालन किया।

उनके अनुसार, धर्म एक निजी मामला होना चाहिए और सार्वजनिक जीवन का मार्गदर्शन नहीं करना चाहिए। आजादी के बाद धर्मनिरपेक्षता की एक नई अवधारणा सामने आई, जो गांधी और नेहरू दोनों के विचारों के करीब थी।

स्वतंत्र भारत ने धर्मनिरपेक्षता के निम्नलिखित विचारों को अपनाया:

राज्य किसी भी धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता की अनुमति देगा

राज्य किसी भी धर्म से संबद्ध नहीं होगा।^[8,9]

राज्य समानता के सभी धर्मों का सम्मान करेगा।

पहले दो पश्चिमी अवधारणा के समान हैं, जबकि तीसरा भारतीय धर्मनिरपेक्षता के लिए अभिनव विचार है।



भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति पीबी गजेंद्रगडकर ने कहा है, "राज्य किसी विशेष धर्म के प्रति वफादार नहीं है, यह अधार्मिक या धर्म-विरोधी नहीं है, यह सभी धर्मों को समान स्वतंत्रता देता है" (सिंह, 1952)। उन्होंने संविधान में शुरुआत से ही धर्मनिरपेक्ष शब्द को शामिल न किए जाने पर टिप्पणी करते हुए कहा कि जेफरसन की राय थी कि धर्म के आधार पर व्यक्तियों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए।

धर्मनिरपेक्षता की पश्चिमी अवधारणा 19वीं सदी में शुरू हुई। धर्मनिरपेक्षता शब्द ब्रिटिश सुधारक जैकब होलोके द्वारा 1851 में गढ़ा गया था (<https://books.google.co.in>)। उन्होंने धार्मिक विश्वास की आलोचना किए बिना धर्म से अलग सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देने के अपने विचारों का वर्णन करने के लिए इस शब्द का उपयोग किया।

जहां तक धर्मनिरपेक्षता के भारतीय परिदृश्य का सवाल है, संविधान सभा की बहसों के रिकॉर्ड पर नजर डालने से पता चलता है कि सभा के सदस्यों के बीच आम समझ यह थी कि भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनना है। संविधान सभा ने भारत की धर्मनिरपेक्ष नींव पर जोर दिया। सभा ने घोषणा की कि धर्मनिरपेक्षता, जैसा कि भारतीय संविधान में अपनाया गया है, एक धर्म-विरोधी अवधारणा नहीं है; इसके बजाय, इसने धर्म के आधार पर नागरिकों के खिलाफ भेदभाव को रोका।

संविधान सभा के सदस्यों में से एक, श्री एचवी कामथ ने कहा, "जब मैं कहता हूं कि एक राज्य को किसी विशेष धर्म के साथ अपनी पहचान नहीं बनानी चाहिए तो इसका मतलब यह नहीं है कि एक राज्य को गैर-धार्मिक या अधार्मिक होना चाहिए। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा, लेकिन मेरे अनुसार, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य न तो ईश्वरविहीन राज्य है, न ही अधार्मिक और न ही धर्म-विरोधी राज्य है" (पाइली, 2007)।[5,7]

डॉ. बीआर अम्बेडकर ने धर्मनिरपेक्षता को निम्नलिखित शब्दों में समझाया; "इसका (धर्मनिरपेक्ष राज्य) मतलब यह नहीं है कि हम लोगों की धार्मिक भावना को ध्यान में नहीं रखेंगे।

एक धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब यह है कि यह संसद बाकी लोगों पर किसी विशेष धर्म को थोपने में सक्षम नहीं होगी। यह है एकमात्र सीमा जिसे संविधान मान्यता देता है" (पाइली, 2007)।

संविधान सभा की बहस के बाद, मुख्य रूप से धर्मनिरपेक्षता के दो विचार सामने आए; एक गांधी के विचार, और दूसरे नेहरू के विचार। गांधीजी की राय 'सर्व धर्म समभाव' यानी सभी धर्मों के लिए समानता पर आधारित थी। उनके अनुसार धर्म को सार्वजनिक जीवन से अलग नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि धर्म उनके लिए महत्वपूर्ण है और वह दूसरे धर्मों का भी सम्मान करेंगे। नेहरू ने 'धर्म निरपेक्ष' सिद्धांत का पालन किया। उनके अनुसार धर्म एक निजी मामला होना चाहिए और सार्वजनिक जीवन का मार्गदर्शन नहीं करना चाहिए।

आजादी के बाद धर्मनिरपेक्षता की एक नई अवधारणा सामने आई, जो गांधी और नेहरू दोनों के विचारों के करीब थी।

भारतीय संविधान और धर्मनिरपेक्षता

धर्मनिरपेक्षता की भारतीय अवधारणा यह है कि राज्य, समाज और धर्म के बीच संबंध अच्छी तरह से परिभाषित नहीं हैं। व्यक्तिगत कानून हर धर्म में अलग-अलग होते हैं। धार्मिक अल्पसंख्यकों की अनिश्चित स्थिति और धार्मिक कट्टरपंथियों के साथ राजनीतिक संरचनाओं का जुड़ाव भारत में धर्मनिरपेक्षता की सफलता और भविष्य के लिए गंभीर चुनौतियाँ पैदा करता है।

यह माना जा सकता है कि आज भारत में धर्मनिरपेक्षता का बहुत अधिक राजनीतिकरण हो गया है, और धर्मनिरपेक्षता को अराजनीतिकरण करने और इसे नागरिक समाज के क्षेत्र में आगे ले जाने के तरीके खोजना आवश्यक है। संविधान निर्माण के प्रारंभ में, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया था। हालाँकि, भारतीय संविधान ने भाग III (अनुच्छेद 14, 15, 16, 25, 26, 27, 28, 29, 30), भाग IV (अनुच्छेद 44), और IVA (खंड (ई)) में कई प्रावधान बताए हैं जो धर्मनिरपेक्षता के अस्तित्व को दर्शाता है।[2,3]

इन सभी अनुच्छेदों को संयुक्त रूप से पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि संवैधानिक निर्माताओं का इरादा न तो धर्म का विरोध करना था और न ही संस्कृति के तर्कसंगतकरण को बढ़ावा देना था। हालाँकि 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द पहली बार 42वें (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा संविधान की प्रस्तावना में डाला गया था, जो 3 जनवरी, 1977 को लागू हुआ, धर्मनिरपेक्षता संविधान का हिस्सा था, धर्मनिरपेक्ष शब्द प्रस्तावना में डाला गया था (सिंह, 2013)।



1976 के 42वें संवैधानिक (संशोधन) अधिनियम में कहा गया कि 'धर्मनिरपेक्ष' का अर्थ एक गणतंत्र है जिसमें सभी धर्मों के लिए समान सम्मान है। कानून के स्पष्ट अक्षरों के बावजूद, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न अवसरों पर विभिन्न निर्णयों के माध्यम से इसकी व्याख्या की है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि धर्मनिरपेक्षता, जैसा कि भारतीय संविधान में वर्णित है, का अर्थ ईश्वर विरोधी या नास्तिक नहीं है।

इसके बजाय, इसका मतलब है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होना चाहिए। इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण (एआईआर 1975 एससी 2299) के मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा और देश के सभी व्यक्ति अपनी अंतरात्मा की स्वतंत्रता के समान रूप से हकदार होंगे। किसी भी धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार।

मान लीजिए हम 1976 से पहले की स्थिति पर भी गौर करें तो भारत में सभी धर्मों के लोगों को समान अधिकार प्राप्त हैं और वे भेदभाव से मुक्त हैं। संविधान का अनुच्छेद 14 सभी को कानून के समक्ष समानता और कानूनों का समान संरक्षण प्रदान करता है। हालाँकि, उचित वर्गीकरण किया जा सकता है और इसके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए।

भारत का संविधान राज्य को केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर किसी भी नागरिक के खिलाफ भेदभाव करने से रोकता है। अनुच्छेद 15(1) अनुच्छेद 15(2) इस बात पर जोर देता है कि कोई भी नागरिक, उपरोक्त किसी भी आधार पर, दुकानों, सार्वजनिक रेस्तरां, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों तक पहुंच से संबंधित किसी भी विकलांगता, दायित्व, प्रतिबंध या स्थिति के अधीन नहीं होगा। कुओं, टैंकों आदि का उपयोग, जो पूरी तरह या आंशिक रूप से राज्य निधि से बनाए गए हैं या आम जनता को समर्पित हैं।^[1,2]

अनुच्छेद 16(1) एक सामान्य नियम बताता है कि राज्य के कार्यालय में रोजगार से संबंधित सभी नागरिकों के लिए समान अवसर होंगे (सिंह, 2013)। संविधान का अनुच्छेद 16(2), अनुच्छेद 16(1) का विस्तार है, जिसमें कहा गया है कि कोई भी नागरिक, केवल धर्म, जाति आदि के आधार पर, किसी भी रोजगार या कार्यालय के लिए अयोग्य नहीं होगा या उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। राज्य (अनुच्छेद 16 (2))। ये प्रावधान सभी धर्मों के नागरिकों की समानता को पर्याप्त रूप से सुनिश्चित करते हैं।

भारत एक बहुलवादी समाज और बहु-धार्मिक देश है; इसीलिए संविधान निर्माताओं ने धार्मिक तटस्थता की अवधारणा को अपनाया और विभिन्न धार्मिक समूहों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की (जैन, 2008)।

हमारी धर्मनिरपेक्षता की भावना में सभी धार्मिक समूहों के प्रति धार्मिक सहिष्णुता और समान व्यवहार (जैन, 2008)। भारतीय संविधान ने कुछ अपवादों के साथ धार्मिक मामले में हस्तक्षेप न करने के सिद्धांत को अपनाया (जैन, 2008)। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 स्पष्ट करते हैं कि भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी बाधा के अपने धर्म को मानने का अधिकार होना चाहिए, जब तक कि नागरिक देश के सामान्य कानून का पालन करता है। अनुच्छेद 25, भारत में धार्मिक और धर्मनिरपेक्षता का भंडार है, यह स्पष्ट प्रावधान करता है कि धार्मिक स्वतंत्रता कब और कैसे उपलब्ध है और स्वतंत्रता पर अंकुश लगाती है।

यह अनुच्छेद प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, अभ्यास करने और प्रचार करने के अधिकार की गारंटी देता है। अनुच्छेद 25 में 'किसी भी व्यक्ति' शब्द का उल्लेख किया गया है, जो दर्शाता है कि एक धर्म से दूसरे धर्म में स्वेच्छिक रूपांतरण वैध है क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म में आस्था रखने के लिए स्वतंत्र है (राय, 2008)।

लेकिन बलपूर्वक, धोखाधड़ी या प्रलोभन द्वारा धर्मांतरण वैध नहीं है क्योंकि इससे सार्वजनिक व्यवस्था भंग हो सकती है। साथ ही, अनुच्छेद 25 राज्य को सार्वजनिक व्यवस्था के हित में प्रतिबंध लगाने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 25(1) यहां 'सार्वजनिक व्यवस्था' का अर्थ है कि कोई चीज समुदाय के जीवन की धारा को बाधित करती है और केवल व्यक्ति को प्रभावित नहीं करती है। यदि स्थिति समुदाय के वर्तमान जीवन को परेशान करती है, तो यह सार्वजनिक व्यवस्था में गड़बड़ी होगी (स्टैनस्लॉस बनाम एमपी राज्य, 1977)^[1,2,3]

राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, इसलिए राज्य धार्मिक गतिविधि को विनियमित नहीं कर सकता है। हालाँकि, धार्मिक मामले से जुड़ी एक धर्मनिरपेक्ष गतिविधि को राज्य द्वारा विनियमित किया जा सकता है (अनुच्छेद 25(2))। किसी गतिविधि को धार्मिक माना जाएगा यदि इसे धर्म का एक आवश्यक और अभिन्न अंग माना जाता है और यदि इसे धर्म का आवश्यक हिस्सा नहीं माना जाता है तो यह धर्मनिरपेक्ष होगा।



तलाक-ए-बिद्दत या तीन तलाक की प्रथा को यह कहते हुए अवैध घोषित कर दिया गया है कि यह संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत संरक्षित नहीं है क्योंकि यह एक आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है (शायरा बानो बनाम भारत संघ, 2017)। इसके अलावा, कुछ परिस्थितियों में, राज्य सामाजिक सुधार के लिए धार्मिक प्रथाओं में हस्तक्षेप कर सकता है। व्यक्तिकरण प्रक्रिया को यह सामाजिक सुधार लाना चाहिए।

ऐसे सामाजिक सुधार के लिए कानून की किसी भी प्रकार की जबरदस्ती का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए।

हालाँकि, कभी-कभी परिस्थितियाँ राज्य को तत्काल सामाजिक सुधार के लिए कानूनी दबाव का उपयोग करने के लिए मजबूर करती हैं। उदाहरण के लिए, हिंदुओं में बहुविवाह पर रोक लगाने के लिए जो अधिनियम बनाया गया था, उसे वैध माना गया क्योंकि बहुविवाह हिंदू धर्म का आवश्यक और अभिन्न अंग नहीं था। इसी प्रकार, हिंदुओं में सती और देवदासी प्रथा और मुसलमानों में 'तीन तलाक' को समाप्त कर दिया गया है क्योंकि ये सामाजिक बुराईयाँ थीं और धर्मों का अनिवार्य हिस्सा नहीं थीं।

बहुविवाह, जिसे अभी भी भारतीय मुसलमानों में अनुमति है और कई अन्य मुस्लिम देशों में इसकी अनुमति नहीं है, यह दर्शाता है कि बहुविवाह ऐसे धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। अतः सामाजिक कल्याण, सामाजिक सुधार और राष्ट्रहित के लिए समान नागरिक संहिता भी लागू की जा सकती है क्योंकि भारतीय संविधान (अनुच्छेद 25(2)(बी)) इसकी अनुमति देता है।

भारत में धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता

भारत जैसे बहुसांस्कृतिक राष्ट्र में धर्मनिरपेक्षता का कोई वैकल्पिक विकल्प नहीं है, इसलिए भारतीय संविधान ने धर्मनिरपेक्षता को अपनाया। भारतीय संघ में विभिन्न भाषाओं और धर्मों के लोग रहते हैं। उन्हें एक साथ रखने के लिए धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता थी। अतः स्वतंत्रता के अधिकार के साथ धर्मनिरपेक्षता को स्वीकार करना आवश्यक था।

यद्यपि भारत में विविधता में एकता लाने का प्रयास किया जा रहा है, फिर भी अल्पसंख्यक समुदायों को अल्पसंख्यकों पर अन्याय, अत्याचार सहना पड़ता है। बेशक, धर्मनिरपेक्ष राज्य बनने के बाद भी राष्ट्रवाद की भावना पैदा नहीं हो सकती। अल्पसंख्यकों में सामाजिक असहिष्णुता के प्रति जागरूकता राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा है। देश में अल्पसंख्यक समूहों के बीच राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने के लिए धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता है।

हालाँकि भारत ने धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा को अपनाया है, लेकिन वास्तव में धर्म का राजनीतिकरण हो गया है। धार्मिक संस्थाओं का उपयोग वोट की राजनीति के लिए किया जाता है। अतः साम्प्रदायिकता बढ़ने से धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत पिछड़ता जा रहा है। सांप्रदायिकता लोकतंत्र विरोधी है, इसलिए धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा को लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रचार में निहित करने की आवश्यकता है। भारत जैसे बहुलवादी समाज में धर्म पर आधारित राजनीति राष्ट्रीय अखंडता के लिए हानिकारक है। इसलिए एक मजबूत लोकतंत्र के निर्माण के लिए समाज में धार्मिक मूल्यों का सम्मान करते हुए धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों का सम्मान करना होगा। [9,0,11]

भारत में धर्मनिरपेक्षता के समक्ष चुनौतियाँ

भारत किसी धर्म विशेष से बंधा नहीं है। हालाँकि, धर्म की स्वतंत्रता और धर्मनिरपेक्षता के साथ-साथ धर्म को भारतीय सामाजिक जीवन के एक अभिन्न अंग के रूप में अपनाया गया था।

राजनीति में धर्म का बढ़ता हस्तक्षेप धर्मनिरपेक्ष राज्य के सामने एक बड़ी चुनौती है। चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन धर्म के आधार पर किया जाता है। धार्मिक भावनाओं के आगे वोटों की राजनीति की जाती है। इसलिए सही लोग निर्वाचित नहीं हो पाते। यहां मुस्लिम, ईसाई, पारसी, सिख जैसे अल्पसंख्यक समुदाय हिंदू बहुमत के साथ रहते हैं।

प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार-प्रसार करने का अधिकार है। इसके बावजूद धार्मिक अल्पसंख्यकों में असुरक्षा की भावना अभी भी कम होती नहीं दिख रही है। इससे एक धर्मनिरपेक्ष समाज का निर्माण करना कठिन हो जाता है। भारत में बढ़ता नस्लवाद धर्मनिरपेक्ष समाज के सामने बड़ी चुनौतियों में से एक है। जब तक देश के सभी समुदाय राष्ट्रीय भावना से एकजुट होकर एकजुट नहीं होंगे, धर्मनिरपेक्ष समाज संभव नहीं है।



1976 में अधिनियमित भारत के संविधान के बयालीसवें संशोधन के साथ संविधान की प्रस्तावना में यह दावा किया गया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। हालाँकि 1994 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एस आर बोम्मई बनाम भारत संघ मामले में इस तथ्य को स्थापित किया कि गणतंत्र के गठन के बाद से ही भारत धर्मनिरपेक्ष था। फैसले ने स्थापित किया कि राज्य और धर्म अलग-अलग हैं।

इसमें कहा गया है, "राज्य के मामलों में, धर्म का कोई स्थान नहीं है और यदि संविधान में राज्य को विचार और कार्रवाई में धर्मनिरपेक्ष होने की आवश्यकता है, तो वही आवश्यकता राजनीतिक दलों से भी जुड़ी है। संविधान धर्म के मिश्रण को मान्यता नहीं देता है, इसकी अनुमति नहीं देता है।" और राज्य की शक्ति। यह संवैधानिक निषेधाज्ञा है।

जब तक यह संविधान इस देश पर शासन करता है, तब तक कोई भी अन्यथा नहीं कह सकता। राजनीति और धर्म को मिश्रित नहीं किया जा सकता है। कोई भी राज्य सरकार, जो नीतियों या कार्रवाई के गैर-धर्मनिरपेक्ष मार्ग पर गैर-धर्मनिरपेक्ष है, संवैधानिक जनादेश के विपरीत कार्य करती है और अनुच्छेद 356 के तहत कार्रवाई के लिए खुद को उत्तरदायी बनाता है। [10,11,12]

इसके अलावा, संवैधानिक रूप से, राज्य के स्वामित्व वाले शैक्षणिक संस्थानों को धार्मिक निर्देश देने से प्रतिबंधित किया गया है, और संविधान का अनुच्छेद 27 किसी भी धर्म के प्रचार के लिए करदाताओं के पैसे का उपयोग करने पर रोक लगाता है। आधिकारिक तौर पर, धर्मनिरपेक्षता ने हमेशा आधुनिक भारत को प्रेरित किया है। हालाँकि, भारत की धर्मनिरपेक्षता धर्म और राज्य को पूरी तरह से अलग नहीं करती है।

भारतीय संविधान ने धार्मिक मामलों में राज्य के व्यापक हस्तक्षेप की अनुमति दी है, जैसे अस्पृश्यता का संवैधानिक उन्मूलन, सभी हिंदू मंदिरों को 'निचली जाति' के लोगों के लिए खोलना आदि। राज्य और धर्म के बीच अलगाव की डिग्री कई अदालतों के साथ भिन्न है और गणतंत्र के जन्म के बाद से कार्यकारी आदेश लागू हैं। आधुनिक भारत में कानून के मामलों में, व्यक्तिगत कानून:

विवाह, तलाक, विरासत, गुजारा भत्ता जैसे मामलों पर यह अलग-अलग होता है कि कोई मुस्लिम है या नहीं (मुसलमानों के पास यदि वे चाहें तो धर्मनिरपेक्ष कानून के तहत शादी करने का विकल्प है) भारतीय संविधान धार्मिक स्कूलों के लिए आंशिक वित्तीय सहायता के साथ-साथ धार्मिक वित्तपोषण की भी अनुमति देता है। राज्य द्वारा भवन और बुनियादी ढाँचा।

इस्लामिक सेंट्रल वक्फ काउंसिल और महान धार्मिक महत्व के कई हिंदू मंदिरों को पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 और प्राचीन स्मारकों और पुरातत्व स्थलों के अनुसार संघीय और राज्य सरकारों द्वारा (वित्त पोषण के माध्यम से) प्रशासित और प्रबंधित किया जाता है। और अवशेष अधिनियम, 1958, जो 15 अगस्त 1947 (भारतीय स्वतंत्रता की तारीख) से पहले बनाई गई धार्मिक इमारतों के राज्य रखरखाव को अनिवार्य करता है, साथ ही उनके धार्मिक चरित्र को भी बनाए रखता है।

धार्मिक कानून का सम्मान करने के प्रयास ने भारत में कई मुद्दे पैदा किए हैं, जैसे बहुविवाह की स्वीकार्यता, असमान विरासत अधिकार, कुछ पुरुषों के लिए अनुकूल अतिरिक्त न्यायिक एकतरफा तलाक के अधिकार और धार्मिक पुस्तकों की परस्पर विरोधी व्याख्याएं।

भारत में प्रचलित धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता की पश्चिमी प्रथा के साथ अपने स्पष्ट मतभेदों के साथ, भारत में एक विवादास्पद विषय है। धर्मनिरपेक्षता की भारतीय अवधारणा के समर्थकों का दावा है कि यह "अल्पसंख्यकों और बहुलवाद" का सम्मान करता है। आलोचक धर्मनिरपेक्षता के भारतीय स्वरूप को "छद्म-धर्मनिरपेक्षता" बताते हैं। समर्थकों का कहना है कि समान नागरिक संहिता लागू करने का कोई भी प्रयास, जो कि प्रत्येक नागरिक के लिए उसके धर्म की परवाह किए बिना समान कानून है, बहुसंख्यकवादी हिंदू संवेदनाओं और आदर्शों को लागू करेगा।

आलोचकों का कहना है कि भारत द्वारा शरिया और धार्मिक कानूनों को स्वीकार करना कानून के समक्ष समानता के सिद्धांत का उल्लंघन है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची धार्मिक संस्थानों, दान और ट्रस्टों को तथाकथित समवर्ती सूची में रखती है, जिसका अर्थ है कि भारत की केंद्र सरकार और भारत की विभिन्न राज्य सरकारें धार्मिक संस्थानों, दान और ट्रस्टों के बारे में अपने स्वयं के कानून बना सकती हैं।

यदि केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून और राज्य सरकार के कानून के बीच कोई टकराव होता है, तो केंद्र सरकार का कानून प्रभावी होता है। भारत में धर्म और राज्य को अलग करने के बजाय ओवरलैप के इस सिद्धांत को 1956 में अनुच्छेद 290 से शुरू होने वाले संवैधानिक संशोधनों की एक श्रृंखला में मान्यता दी गई, जिसमें 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द जोड़ा गया। समवर्ती सूची संरचना के माध्यम से धर्म और राज्य ने भारत में विभिन्न धर्मों, धार्मिक स्कूलों और व्यक्तिगत कानूनों को राज्य का समर्थन दिया है। राज्य का यह हस्तक्षेप प्रत्येक धर्म के आदेशों के अनुरूप होते हुए भी असमान और विरोधाभासी है।



उदाहरण के लिए, 1951 का धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती भारतीय कानून राज्य सरकारों को हिंदू मंदिरों को जबरन अपने कब्जे में लेने, उनका स्वामित्व लेने और उन्हें संचालित करने, और चढ़ावे से राजस्व इकट्ठा करने और उस राजस्व को मंदिर के विरोध में धार्मिक संस्थानों के रखरखाव सहित किसी भी गैर-मंदिर उद्देश्यों के लिए पुनर्वितरित करने की अनुमति देता है।

भारतीय कानून इस्लामी और अन्य अल्पसंख्यक धार्मिक स्कूलों को धार्मिक शिक्षा प्रदान करने के लिए भारत की राज्य और केंद्र सरकार से आंशिक वित्तीय सहायता प्राप्त करने की अनुमति देता है, यदि स्कूल इस बात से सहमत है कि छात्र के पास धार्मिक शिक्षा से बाहर निकलने का विकल्प है।^[10] यदि वह ऐसा चाहता है। , और यह कि स्कूल किसी भी छात्र के साथ धर्म, नस्ल या किसी अन्य आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। सरकार के पूर्ण स्वामित्व और संचालन वाले शैक्षणिक संस्थानों को धार्मिक शिक्षा प्रदान करने से प्रतिबंधित किया गया है, लेकिन धार्मिक संप्रदाय और बंदोबस्ती अपने स्वयं के स्कूल खोल सकते हैं, धार्मिक शिक्षा प्रदान कर सकते हैं और आंशिक राज्य वित्तीय सहायता का अधिकार रख सकते हैं।

मुस्लिम भारतीयों के लिए व्यक्तिगत क्षेत्र में धार्मिक कानून; और वर्तमान में, कुछ स्थितियों जैसे कि धार्मिक शिक्षा स्कूलों में राज्य आंशिक रूप से कुछ धार्मिक स्कूलों को वित्तपोषित करता है। समान नागरिक संहिता के प्रयास पर लंबे समय से एक धर्मनिरपेक्ष भारतीय राज्य को साकार करने के साधन के रूप में चर्चा की गई है। धर्म और राज्य के बीच ओवरलैप ने भारतीय धर्मनिरपेक्षता के समर्थकों और हिंदू राष्ट्रवाद के समर्थकों के बीच तनाव पैदा कर दिया है।

हिंदू राष्ट्रवादी अपने आधार को उत्तेजित करने के लिए समान नागरिक संहिता मंच का उपयोग करते हैं, भले ही इसका कोई वास्तविक कार्यान्वयन नहीं हुआ है। वे भारत में प्रचलित धर्मनिरपेक्षता को "छद्म-धर्मनिरपेक्षता" के रूप में चित्रित करते हैं, जो राजनीतिक "अल्पसंख्यकों के तुष्टिकरण" के लिए एक छद्म पाखंड है। 28 जुलाई 2020 को, प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को हटाने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय में याचिकाएं चल रही थीं। भारत के संविधान को

धर्मनिरपेक्षता और भारत का संविधान: विविधता में एकता

भारत का मूल लोकाचार मौलिक एकता, सहिष्णुता और यहां तक कि धर्म का संश्लेषण रहा है। यह एक निर्विवाद तथ्य है कि विभिन्न धर्मों को मानने वाले करोड़ों भारतीय युगों से एक साथ रहते आए हैं, कई बार उन्हें धार्मिक विद्रोह, आर्थिक शोषण और सामाजिक दमन का सामना करना पड़ा है।

भारत विश्व के चार प्रमुख धर्मों का जन्मस्थान है: हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और सिख धर्म। फिर भी, भारत धर्म के मामले में सबसे विविध देशों में से एक है। कई विद्वानों और बुद्धिजीवियों का मानना है कि भारत का प्रमुख धर्म, हिंदू धर्म लंबे समय से सबसे सहिष्णु धर्म रहा है। भारत एक ऐसी सभ्यता की नींव पर बना देश है जो मूल रूप से गैर-धार्मिक है।

भारतीय संविधान की प्रस्तावना का उद्देश्य भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना है। 42वें संशोधन द्वारा इसमें समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए।

संपूर्ण संविधान का सारांश प्रस्तावना में दिया गया है। यह संविधान की भावना का दर्पण है। प्रस्तावना में शब्दों की व्यवस्था भी बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय समाज एक बहु-धार्मिक समाज है, इसमें विभिन्न धर्मों के साथ-साथ विभिन्न धर्म भी हैं। तो, ये सभी किसी न किसी तरह से विभाजनकारी कारक हैं और अगर सावधानी से नहीं संभाला गया तो देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा पैदा हो सकता है।

संविधान सभा ने देश की विशिष्ट परिस्थितियों की कल्पना की है और प्रस्तावना को बहुत व्यवस्थित किया है जिसका उद्देश्य नागरिकों को न्याय, समानता और स्वतंत्रता प्रदान करना है। मूल उद्देश्य व्यक्तिगत गरिमा के साथ-साथ राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करते हुए भाईचारे को बढ़ावा देना है। विभाजनकारी कारक का मुकाबला करने के लिए भाईचारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण है। विशेष रूप से भारतीय संदर्भ में भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए धार्मिक सद्भाव आवश्यक है। इसलिए यह राज्य का संवैधानिक दायित्व है कि वह धार्मिक भाईचारे को कम करने वाले कारकों का मुकाबला करे।

भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए सकारात्मक और नकारात्मक कार्रवाई करना भी राज्य का दायित्व है। कला। 25(1) प्रत्येक व्यक्ति को अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने के अधिकार की गारंटी देता है।^[11,12]



के अनुसार डोनाल्ड यूजीन स्मिथ के अनुसार, 'धर्मनिरपेक्ष राज्य एक ऐसा राज्य है जो धर्म की व्यक्तिगत और कॉर्पोरेट स्वतंत्रता की गारंटी देता है, व्यक्ति के साथ एक नागरिक के रूप में व्यवहार करता है, चाहे उसका धर्म कुछ भी हो। संवैधानिक रूप से किसी विशेष से जुड़ा नहीं है, न ही यह धर्म को बढ़ावा देने या उसमें हस्तक्षेप करने की कोशिश करता है। बारीकी से जांच करने पर यह देखा जाएगा कि एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा में राज्य, धर्म और व्यक्ति से संबंधित संबंधों के तीन अलग-अलग लेकिन अंतर-संबंधित सेट शामिल हैं। इंद्र वी. राजनारायण 1975 एआईआर, एससी 2299।

धर्मनिरपेक्षता की मूल विशेषता को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समझाया गया था जिसमें कहा गया था कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है 'राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा और देश के सभी व्यक्ति अपनी अंतरात्मा की स्वतंत्रता के समान रूप से हकदार होंगे। "स्वतंत्र रूप से किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार है।"

एस.आर.बोम्मई बनाम भारत संघ 1994 एआईआर, एससी 1981 माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने धार्मिक आचरण के आधार पर भाजपा शासित चार राज्य सरकारों की बर्खास्तगी को बरकरार रखते हुए कहा कि धर्मनिरपेक्ष का मतलब केवल यह नहीं है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होना चाहिए और होना चाहिए। विभिन्न धर्मिकों के बीच तटस्थ रहें, लेकिन वह राजनीतिक दल जो सत्ता पर कब्जा करना चाहता है, धार्मिक सत्ता पर कब्जा करने के लिए आएंगे, धर्म द्वितीयक या कम अनुकूल स्थिति हासिल करने के लिए आएंगे।

धर्मनिरपेक्षता और भारत का संविधान:

भारत के संविधान द्वारा प्रस्तावित धर्मनिरपेक्षता की निम्नलिखित विशिष्ट विशेषताएं हैं:

राज्य अपनी पहचान किसी धर्म के साथ नहीं रखेगा और न ही उस पर किसी धर्म का नियंत्रण होगा

हालाँकि राज्य हर किसी को अपनी इच्छानुसार किसी भी धर्म को मानने के अधिकार की गारंटी देता है, लेकिन वह उनमें से किसी को भी कोई तरजीह नहीं देगा।

राज्य द्वारा किसी भी व्यक्ति के खिलाफ उसके धर्म या आस्था के आधार पर कोई भेदभाव नहीं दिखाया जाएगा।

प्रत्येक नागरिक का अधिकार, किसी भी सामान्य शर्त के अधीन, राज्य के तहत किसी भी कार्यालय में प्रवेश करने का अधिकार और धार्मिक सहिष्णुता संविधान द्वारा परिकल्पित धर्मनिरपेक्षता के दिल और आत्मा का निर्माण करती है।

यह भारतीय लोगों की एक बंधुता बनाने की शर्तों को सुरक्षित करता है जो व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता दोनों को सुनिश्चित करता है।

सर्वोच्च न्यायालय ने (बाल पाटिल और अन्य बनाम भारत संघ) मामले में फैसला सुनाया है कि राज्य का कोई धर्म नहीं है और राज्य को सभी धर्मों और धार्मिक लोगों के साथ समान रूप से और समान सम्मान के साथ व्यवहार करना होगा, बिना किसी भी तरह से उनके धर्म के व्यक्तिगत अधिकारों में हस्तक्षेप किए बिना।, आस्था और पूजा।

निष्कर्ष

एक धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक गणराज्य के उद्देश्यों और मापदंडों को इतने लचीले, फिर भी दृढ़ तरीके से व्यक्त किया जाना था कि एक रचनात्मक और यथार्थवादी न्यायशास्त्र और संवैधानिक रणनीतियों के परिसर को संचालन में लाया जा सके, जो सामंजस्य स्थापित करेगा, धार्मिक अल्पसंख्यकों को विरोध नहीं करेगा, एकीकृत करेगा। कमजोर मानव क्षेत्र द्वारा सहन किए जाने वाले सामाजिक-धार्मिक भेदभाव को तीव्र न करें, शत्रुतापूर्ण स्तर को खत्म न करें, न कि बढ़ाएँ, और एक ऐसी प्रणाली और समाज का निर्माण करें जहाँ धर्मनिरपेक्ष एकता सांस्कृतिक विविधता के साथ मेल खाए।

धर्मनिरपेक्षता का भारतीय मॉडल:

इसमें न केवल व्यक्तियों के अपने धार्मिक विश्वासों को मानने के अधिकार के लिए बल्कि धार्मिक समुदायों के लिए शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और बनाए रखने के अधिकार के लिए भी जगह है।



समुदाय विशिष्ट अधिकारों की स्वीकृति हमें भारतीय धर्मनिरपेक्षता की तीसरी विशेषता की ओर ले जाती है क्योंकि इसका जन्म एक गहरे बहु-धार्मिक समाज में हुआ था, यह अंतर-धार्मिक वर्चस्व के साथ उतना ही चिंतित है जितना कि अंतर-धार्मिक वर्चस्व के साथ।

यह राज्य और धर्म के बीच अलगाव की दीवार खड़ी नहीं करता है। यह राज्य को धर्मों में हस्तक्षेप करने, उन्हें नियंत्रित करने या नष्ट करने के आवेग के बिना उनकी मदद करने या बाधा डालने की अनुमति देता है।^[12]

यह पूरी तरह से धर्म के सार्वजनिक चरित्र के प्रतिकूल नहीं है। हालाँकि राज्य की पहचान किसी विशेष धर्म से नहीं की गई है, लेकिन धार्मिक समुदायों को आधिकारिक और इसलिए सार्वजनिक मान्यता दी गई है।

एकाधिक मूल्यों और सैद्धांतिक दूरी का मतलब है कि राज्य विभिन्न, अस्पष्ट लेकिन समान रूप से महत्वपूर्ण मूल्यों को संतुलित करने का प्रयास करता है।

इस प्रकार का मॉडल अपने धर्मनिरपेक्ष आदर्श को विचारधाराओं द्वारा गढ़े गए और केवल राजनीतिक एजेंटों द्वारा लागू किए गए वैज्ञानिक सिद्धांत के बजाय एक प्रासंगिक, नैतिक रूप से संवेदनशील, राजनीतिक रूप से बातचीत की व्यवस्था की तरह बनाता है।

धर्मनिरपेक्षता निस्संदेह प्रत्येक नागरिक को जीवन, स्वतंत्रता और खुशी का पूरा आनंद लेने में सक्षम बनाने में मदद करती है और इसकी आकांक्षा रखती है, लेकिन इस आदर्श की खोज में, जो लोग धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करते हैं उन्हें अपने साथी नागरिकों के साथ व्यवहार करने में नैतिक उद्देश्य की भावना से प्रेरित होना चाहिए।

धर्मनिरपेक्षता को आकार देने में भारतीय न्यायपालिका की भूमिका

धर्मनिरपेक्ष शब्द स्थिर नहीं है; इसके बजाय, यह गतिशील है। इस अवधारणा पर हर समय कोई निश्चित दृष्टिकोण नहीं रखा जा सकता। समय-समय पर न्यायालय धर्मनिरपेक्षता के अलग-अलग अर्थ बताता है और उसे व्यवहार में लागू करता है। सरदार ताहेरुद्दीन सैयदना साहिब बनाम बॉम्बे राज्य (एआईआर 1962 एससी 853) में, शीर्ष अदालत ने कहा कि 'कला। 25 और 26 भारतीय लोकतंत्र की धर्मनिरपेक्ष प्रकृति पर जोर देने का काम करते हैं, जिसे संस्थापकों ने संविधान का आधार माना था। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (एआईआर 1973 एससी 1461) सुप्रीम कोर्ट ने माना कि धर्मनिरपेक्षता संविधान की मूल संरचना का एक हिस्सा थी। मुख्य न्यायाधीश सीकरी ने कहा कि संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र ही इसका सार है। न्यायमूर्ति शेलाटंड और न्यायमूर्ति ग्रोवर ने कहा कि संविधान की धर्मनिरपेक्ष और संघीय प्रकृति मूल संरचना के मुख्य तत्व थे।

न्यायमूर्ति जगनमोहन रेड्डी ने कहा कि:

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और पूजा की स्वतंत्रता में किसी भी कीमत पर संशोधन नहीं किया जा सकता क्योंकि वे संविधान की मूल विशेषताओं का हिस्सा हैं।

इसी प्रकार, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बोम्मई बनाम भारत संघ (1994), 3एससीसी 1 के मामले में धर्मनिरपेक्षता के अर्थ को विस्तार से बताया। कोर्ट ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार है। न्यायालय ने माना कि 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द जो 42वें संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में डाला गया था, आर्टिक्ल 25-28 में गारंटीकृत मौलिक अधिकारों पर प्रकाश डालता है।

न्यायालय ने यह भी कहा कि यदि धर्म का उपयोग राजनीतिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है तो राज्य की तटस्थता का उल्लंघन होगा और कोई भी राजनीतिक दल राजनीतिक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए धर्म का उपयोग कर रहा है। धर्म और राजनीति का मिश्रण नहीं होना चाहिए।

हालाँकि एक धर्मनिरपेक्ष राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि राज्य को धर्म के सभी मामलों में कोई दखल नहीं है। राज्य धार्मिक स्थानों के धर्मनिरपेक्ष मामलों को विनियमित करने के लिए एक कानून बना सकता है।

न्यायालय ने इस्माइल फारूकी बनाम भारत संघ (1994) 6एससीसी 3176 के मामले में इस दृष्टिकोण का पालन किया और माना कि किसी धार्मिक समुदाय से संबंधित किसी भी संपत्ति को राज्य द्वारा प्रतिष्ठित डोमेन के तहत अधिग्रहित किया जा सकता है। अरुणा रॉय बनाम भारत संघ (2002) और एसएससी 368 के मामले में भी, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि धर्मनिरपेक्षता का सार धार्मिक मतभेदों के आधार पर राज्य द्वारा लोगों के साथ भेदभाव न करना है।



। अभिराम सिंह बनाम सीडी कॉमाकेम के मामले में

(2017)10 एससीसी 1, कोर्ट के सामने एक सवाल था कि क्या धर्मनिरपेक्षता का मतलब धर्म को राजनीति से पूरी तरह अलग करना है। [8,9,10]

न्यायालय ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता यह नहीं कहती कि राज्य को धर्म से अलग रहना चाहिए, बल्कि उसे हर धर्म के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। धर्म और जाति हमारे समाज के महत्वपूर्ण पहलू हैं और इन्हें राजनीति से पूरी तरह अलग करना संभव नहीं है।

न्यायालय ने माना कि धर्मनिरपेक्षता संविधान की मूल संरचना है और इसलिए इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। धर्मनिरपेक्षता सहिष्णुता के सांस्कृतिक सिद्धांत से ली गई है और सभी धर्मों की समानता सुनिश्चित करती है। भारत में कोई भी धर्म खतरे में नहीं पड़ेगा क्योंकि सरकार किसी भी धर्म से जुड़ी नहीं होगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के बीच एक आवश्यक संबंध है और अगर हम चाहते हैं कि लोकतंत्र ठीक से काम करे और हाशिए पर रहने वाला समूह इसका लाभ उठा सके, तो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होना चाहिए।

भारत में धर्मनिरपेक्षता और इसकी वास्तविकता

लोकतांत्रिक देश में धर्मनिरपेक्षता तभी सार्थक है जब समानता का मूल सिद्धांत हो। यदि समानता के प्रति प्रतिबद्धता नहीं है तो लोकतंत्र के प्रति भी प्रतिबद्धता नहीं रहेगी। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, और एक धर्मनिरपेक्ष राज्य किसी भी धर्म का पक्ष नहीं लेगा; इसके बजाय, यह सहज बहुलवाद की रक्षा और संरक्षण करता है।

एक प्रश्न उठ सकता है कि अल्पसंख्यकों की भाषा लिपि और संस्कृति की रक्षा के लिए संविधान के अनुच्छेद 29 (अनुच्छेद 29(1) और 29(2)) और 30 (अनुच्छेद 30(1)) में विशेष प्रावधान क्यों हैं। और यह भी कहा जाता है कि भारत 1976 से पहले भी (प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ने से पहले) एक धर्मनिरपेक्ष राज्य रहा है, जैसा कि अनुच्छेद 25 से 28 तक निर्धारित है, फिर 42वां संवैधानिक (संशोधन) अधिनियम, 1976 लाने और डालने की आवश्यकता क्यों महसूस की गई प्रस्तावना में 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द।

यह और संविधान का 42वां संशोधन किस प्रकार हुआ, यह बहस का विषय है, क्योंकि उस समय कई विपक्षी नेता या तो जेल में थे या भूमिगत थे और राष्ट्रीय आपातकाल के कारण संसद में विपक्षी सदस्यों की संख्या बहुत कम थी। .

इस संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द डालने के बजाय धर्मनिरपेक्षता का अर्थ स्पष्ट करना बेहतर होता। एक और विवादास्पद बात यह है कि यदि एक धर्मनिरपेक्ष राज्य पूरी तरह से धर्म से अलग है और ऐसे देश का कानून भी धर्मनिरपेक्ष है, तो देश में अलग-अलग व्यक्तिगत कानून क्यों हैं। एक ही कानून या समान नागरिक संहिता क्यों नहीं है? एक धर्मनिरपेक्ष देश में राज्य धर्मों के बीच भेदभाव नहीं करेगा, फिर कई मंदिरों पर सरकार का नियंत्रण क्यों है, लेकिन मस्जिदों और चर्चों पर नहीं। [10,11,12]

भारत का संविधान धार्मिक उद्देश्यों के लिए करों का उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाता है, (अनुच्छेद 27) लेकिन अल्पसंख्यकों के कल्याण की देखभाल के लिए अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय बनाया गया है, जो अल्पसंख्यक धर्मों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न योजनाएं लाता है। मुसलमानों को हज सब्सिडी प्रदान की गई, लेकिन अन्य धर्मों के लिए ऐसी कोई सब्सिडी उपलब्ध नहीं थी।

अब यह सब्सिडी बंद कर दी गई है; इसे रोकने से पहले राज्य भेदभाव कर रहा था जो धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा के खिलाफ था। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य में बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक का प्रश्न नहीं होना चाहिए था क्योंकि सभी एक ही देश के नागरिक हैं। इसलिए, भारत में धर्मनिरपेक्षता कई यूरोपीय देशों की तरह नहीं है। निःसंदेह भारत में धर्मतंत्र तो नहीं, परंतु पाखंडवाद अवश्य है।

जहां तक धर्मनिरपेक्षता और नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 (सीएए) का सवाल है, यह बहस का विषय है; एक समूह का तर्क है कि यह अधिनियम संविधान का उल्लंघन करता है क्योंकि यह धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा के खिलाफ है, जबकि भारत सरकार कह रही है कि यह अधिनियम संवैधानिक है। सीएए का विरोध करने वाले समूह का तर्क है कि यह धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा का उल्लंघन करता है क्योंकि यह अधिनियम पाकिस्तान, बांग्लादेश से देश में आए हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई, जैन और पारसी समुदायों के प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करता है। और अफगानिस्तान 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले, लेकिन मुस्लिम को इसके दायरे में शामिल नहीं करता है।



और साथ ही, यह प्रकृति में भेदभावपूर्ण है क्योंकि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ-साथ अनुच्छेद 15(1) का भी उल्लंघन करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राज्य भारत के क्षेत्र के भीतर किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। कहा गया है कि इस अनुच्छेद में व्यक्ति शब्द का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए यह नागरिकों और गैर-नागरिकों दोनों की रक्षा करता है।

अनुच्छेद 15(1) में प्रावधान है कि राज्य किसी भी नागरिक के खिलाफ केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। केंद्र सरकार का तर्क है कि किसी को नागरिकता प्रदान करना एक राजनीतिक मामला है और यह न तो धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा के खिलाफ है और न ही भेदभावपूर्ण है। [4,5,6]

जहां तक अनुच्छेद 14 के उल्लंघन का प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल राज्य बनाम अनवर अली सरकार (एआईआर 1952 एससी 52) के मामले में माना है कि अनुच्छेद 14 भेदभाव पर रोक लगाता है, लेकिन यह उचित वर्गीकरण की अनुमति देता है। लेकिन वर्गीकरण बोधगम्य अंतर पर आधारित होना चाहिए, और वर्गीकरण ने सांठगांठ हासिल करने की कोशिश की है। सीए तीन पड़ोसी देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में लोगों को धार्मिक उत्पीड़न से बचाने के लिए एक अधिनियम है।

ये सभी इस्लामिक राज्य हैं जहां कट्टरपंथ दिन-ब-दिन बढ़ रहा है और हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों को धार्मिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए मुसलमानों और अन्य धर्मों के बीच भेदभाव समझदार अंतर पर आधारित है। केंद्र सरकार की ओर से यह भी तर्क दिया गया है कि संविधान का अनुच्छेद 15(1) भारत के नागरिकों के बीच भेदभाव पर रोक लगाता है और पाकिस्तान अफगानिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमान भारत के नागरिक नहीं हैं, इसलिए उन्हें अनुच्छेद 15(1) का संरक्षण नहीं मिल सकता है) 1) संविधान का।

भारत सरकार ने यह भी कहा कि सीए किसी भी मौजूदा अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है जो संशोधन के लागू होने से पहले और आगे भी मौजूद रहा हो, और किसी भी भारतीय नागरिक का कोई कानूनी, लोकतांत्रिक या धर्मनिरपेक्ष अधिकार प्रभावित नहीं होगा। हालांकि CAA की संवैधानिकता को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई है, मामला अभी भी लंबित है।

भारत दुनिया भर में एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में जाना जाता है। धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य शासन की एक ऐसी पद्धति से है जिसमें राज्य धार्मिक मामलों में तटस्थ रहता है और किसी विशेष धर्म के पक्ष में झुकना नहीं चाहिए। हालांकि, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए संविधान में विशिष्ट प्रावधान किए गए हैं, जो अप्रत्यक्ष रूप से दर्शाता है कि संविधान में विशिष्ट भेदभावपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य में बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए।

उपरोक्त के अलावा सरकार द्वारा जब भी अल्पसंख्यक शब्द पर विचार किया गया तो धार्मिक अल्पसंख्यक पर ही ध्यान दिया गया जबकि संविधान में प्रावधान 'धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यक' का है। इसलिए, यदि सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की जानी है, तो अल्पसंख्यक के संवैधानिक अर्थ को ध्यान में रखा जाना चाहिए; अन्यथा, संविधान की भावना पराजित हो जायेगी।

2019 में केंद्र सरकार तीन पड़ोसी देशों में धार्मिक उत्पीड़न का सामना कर रहे छह धर्मों के हितों की रक्षा के लिए नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 लेकर आई, लेकिन विभिन्न समूहों ने इसका कड़ा विरोध किया और कहा कि इसके दायरे में मुसलमानों को शामिल न करना भेदभावपूर्ण और खिलाफ भी है। धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा जो भारत के संविधान की मूल संरचना है। और ये भी कि भारत की मूल संरचना को बदला नहीं जा सकता, लेकिन एक बात अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए कि बुनियादी संरचना सिद्धांत को भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति में एक सीमा के रूप में विकसित किया गया था। [7,8,9]

आम तौर पर कानून बनकर आये किसी कानून को बुनियादी ढांचे का उल्लंघन करने वाला कहकर चुनौती नहीं दी जा सकती। सीए, 2019 संविधान का हिस्सा नहीं है इसलिए इसे संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन मानकर चुनौती नहीं दी जानी चाहिए। भारत का सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षक है, और जब भी देश के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को प्रभावित करने वाला कोई खतरा आता है, तो वह राष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष चरित्र की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहता है। [10,11,12]

प्रतिक्रिया दें संदर्भ

1. "समान नागरिक संहिता: पहल न होने के असल कारण". BBC News हिंदी. मूल से 2 दिसंबर 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 7 अप्रैल 2020.



2. ↑ "Triple Talaq: Ban this un-Islamic practice and bring in a uniform civil code". Hindustan Times. 22 नव° 2017. मूल से 6 अगस्त 2019 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 7 अप्रैल 2020. [\[date= में तिथि प्राचल का मान जाँचें \(मदद\)\]](#)
3. ↑ "Has the Supreme Court set the ball rolling for a Uniform Civil Code?". Hindustan Times (अंग्रेज़ी में). 15 मार्च 2021. अभिगमन तिथि 1 जुलाई 2021.
4. ↑ Shimon Shetreet; Hiram E. Chodosh (December 2014). Uniform Civil Code for India: Proposed Blueprint for Scholarly Discourse. Oxford University Press. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 978-0198077121. अभिगमन तिथि 2020-08-22.
5. ↑ "Article 44 in the Constitution of India 1949". अभिगमन तिथि 2020-08-22.
6. ↑ Rina Verma Williams (2006). Postcolonial Politics and Personal Laws. Oxford University Press. पृष्ठ 18, 28, 106, 107, 119. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 0195680146.
7. ↑ "Occasional Paper 7: Islamic Law and the Colonial Encounter in British India | Women Reclaiming and Redefining Cultures". www.wluml.org. मूल से 18 अक्टूबर 2016 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 14 अक्टूबर 2016.
8. ↑ "Ambedkar with UCC". Outlook India. मूल से 14 अप्रैल 2016 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 14 August 2013.
9. ↑ "How Muslim fears were allayed, and the UCC became a directive principle | India News - Times of India". The Times of India. मूल से 4 नवंबर 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 7 अप्रैल 2020.
10. ↑ "सुप्रीम कोर्ट ने समान नागरिक संहिता पर मोदी सरकार की खोली आंखें, कहा- एक देश एक कानून की दिशा में बढ़ो आगे". Dainik Jagran. मूल से 26 सितंबर 2019 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 18 सितंबर 2019.
11. ↑ "देश में समान नागरिक संहिता के लिए नहीं हुए प्रयास: सुप्रीम कोर्ट | DD News". ddnews.gov.in.
12. ↑ Modern Indian Family Law Archived 2013-10-15 at the Wayback Machine - by Werner Menski



INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH

IN SCIENCE, ENGINEERING, TECHNOLOGY AND MANAGEMENT



+91 99405 72462



+91 63819 07438



ijmrsetm@gmail.com

www.ijmrsetm.com